

प्रेस नोट

थाना जीआरपी फर्रुखाबाद का टाप-10 अपराधी की गिरफ्तारी व बरामदगी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में कोतवाली फर्रुखाबाद की पुलिस द्वारा थाना जीआरपी फर्रुखाबाद का टाप-10 अपराधी निगम गिहार पुत्र सर्वेश गिहार नि० लकूला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद को 08 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने वाले उपकरण के साथ बंद शुदा कैलाश भट्टा थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जनपद फर्रुखाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली फर्रुखाबाद पर मु०अ०सं० 847/2020 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम व 272 भा०द०वि० पंजीकृत जेल भेजा रहा है।

अभियुक्त- निगम गिहार पुत्र सर्वेश गिहार नि० लकूला थाना कोतवाली फर्रुखाबाद जिला फर्रुखाबाद

बरामदगी- 08 लीटर अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब व शराब बनाने वाले उपकरण

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 52/2018 धारा 4/25 A ACT थाना जीआरपी फर्रुखाबाद
2. मु०अ०सं० 53/2018 धारा 414 भा०द०वि० थाना जीआरपी फर्रुखाबाद
3. मु०अ०सं० 06/2019 धारा 21/22 NDPS ACT थाना जीआरपी फर्रुखाबाद
4. मु०अ०सं० 07/2019 धारा 4/25 A ACT थाना जीआरपी फर्रुखाबाद
5. मु०अ०सं० 74/2019 धारा 379/411 भा०द०वि० थाना जीआरपी फर्रुखाबाद
6. मु०अ०सं० 83/2019 धारा 21/22 NDPS ACT थाना जीआरपी फर्रुखाबाद

गिरफ्तारी टीम-

1. उ०नि० श्री हरिओम प्रकाश त्रिपाठी
2. हेका० 168 अरविन्द दुवे
3. का० 01 मुनवेन्द्र
4. का० 599 अरविन्द कुमार

पुलिस चौकी, कादरी गेट
थाना कोतवाली फर्रुखाबाद

कोविड केयर केंद्र
पुलिस चौकी

